ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केश सं0– 45/17–18

बड़की बेसरा बनाम् टुडू मुर्मू वगै0

–: आदेश :–

.023

वर्तमान वाद आवेदिका बड़की बेसरा, जौजे–स्व0 पटवारी मुर्मू, सा0–तुलसीपुर, थाना–ललमटिया, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–तुलसीपुर नं0–08, जमाबंदी नं0–06, दाग नं0–71, रकवा–00–19–19 धूर भूमि से विपक्षीगण टुडू मुर्मू, साहेबराम मुर्मू, तालु मुर्मू, बेटा मुर्मू, सभी पे0–लक्खी उर्फ बुढ़ मुर्मू, सभी सा0–तुलसीपुर, थाना–ललमटिया, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् उच्छेद करने हेतु दायर वाद पर प्रकिया प्रारंभ किया गया है। तदनुसार उभय पक्ष द्वारा निर्गत नोटिस के विरूद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किया गया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–685/रा0, दिनांक–27.08.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकनोपरांत प्रतीत होता है कि मामला स्वत्व से संबधित है, जिसका निष्पादन सक्षम न्यायालय से संभव है। अतः आवेदिका द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 03.01.23
अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

(हस्ताक्षर) 03.01.23
अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Seen
Bandekumar
29/3/23

Seen
29/03/23

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.01 11:47:31 +05:30
Location: 192.168.8.115

Scanned with OKEN Scanner